राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी आबकारी–1582/2014/सीकर.

मैसर्स एच.एस.बी. एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0,
रिंगस, जिला सीकर। .....प्रार्थी

बनाम

1. आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर।
2. जिला आबकारी अधिकारी, सीकर। .....अप्रार्थीगण

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शरद पुरोहित, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर.बी.माथुर, अधिकृत अधिवक्ता .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/07/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(ए)(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें आबकारी आयुक्त ने अपील संख्या 8/11 में अपील आदेश दिनांक 02.07.2014 से प्रार्थी के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी, सीकर द्वारा मांग नोटिस दि. 26.07.2011 में सृजित शास्ति राशि को यथावत रखते हुए प्रार्थी की अपील को अस्वीकार किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी इकाई राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1956 के तहत समामेलित एवं पंजीकृत कम्पनी है, और राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के तहत आबकारी विभाग की डिस्टलरी अनुज्ञा पत्र धारक है। इस अनुज्ञा पत्र के तहत इकाई द्वारा रींगस जिला सीकर में स्थापित डिस्टलरी पर ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल एलकोहल) का उत्पादन किया जाता है। इकाई द्वारा उत्पादित ई.एन.ए. को राजस्थान राज्य एवं राजस्थान के बाहर स्थित इकाईयों को विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्गमित किया जाता है। मैसर्स मोफलेंग बोटलिंग प्रा0लि0, रि–भोई, मेघालय (जिसे आगे से **"आयातक कंपनी"** कहा जायेगा) से प्रार्थी कंपनी को एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (जिसको आगे **'ई.एन.ए.'** कहा जायेगा) के खरीद के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक सीई/87–92/2009/EXC/ALCH/430 दिनांक 23.04.2010 जो डिप्टी कमीश्नर ऑफ एक्साइज शिलोंग, मेघालय के प्रार्थना पत्र पर जारी किये गये थे एवं आयात परमिट Ex/827/MB/ENA/122/2010 एवं Ex/828/MB/ENA/123/2010 दिनांक 04.08.2010 प्राप्त होने पर, प्रार्थी कम्पनी ने आयातक कंपनी से ई.एन.ए. विक्रय करने हेतु अनुबंध किया। तदनुरूप आयातक कम्पनी द्वारा 40,000 ब्लक लीटर ई.एन.ए. आयात करने के कम में अनुज्ञा पत्र प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.07.2010 पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा दिनांक 02.08.2010 को अनुमति प्रदान की गई एवं जिला अधिकारी, उदयपुर द्वारा निर्यात परमिट संख्या SKR016412 एवं SKR016413 दि. 18.08.2010 कमशः 20,000–20,000 ब्लक लीटर ई.एन.ए. के जारी किये गये। निर्यात अनुमति के आधार पर प्रार्थी इकाई द्वारा देय सेडिंग आउट फीस की राशि राजकोष में जमा कराई गई। उक्त निर्यात परमिट जारी होने के पश्चात डिस्टलरी के इंचार्ज सहायक आबकारी अधिकारी रींगस ने दो ट्रांसपोर्टेशन परमिट कमशः संख्या B-0069548 दिनांक 29.08.2010 एवं B-0069542 जारी किये जिसमें मार्ग परिवहन का वर्णन

लगातार.....2

अंकित था। प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी ने ई.एन.ए. टैंकरों में भरकर मय एच.आर. परिवहन के लिये सुपुर्द किये। प्रार्थी इकाई द्वारा राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के नियम 94 के तहत उल्लेखित प्रारूप आर.डी.15 के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए उक्त बंध पत्र प्रस्तुत किये।

3. जिला आबकारी अधिकारी सीकर को यह शिकायत मिलने पर कि प्रार्थी इकाई द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर निर्यात किया गया है अतः उन्होंने प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच करवाई। तदनुरूप जांच पर पाया गया कि निर्यात परमिट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न आयात परमिट आयातक राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होकर कूटरचित एवं बोगस थे। जिला आबकारी अधिकारी, सीकर ने प्रार्थी को नोटिस जारी कर राजस्थान डिस्टलरीज नियम, 1976 के नियम 94 के तहत विहित निष्पादित बंध पत्र आर.डी. 15 की शर्तों के उल्लंघन पर दिनांक 10.01.2011 को शास्ति राशि 1,14,24,000/– रूपये आरोपित कर नोटिस जारी किया कि उक्त राशि 7 दिवस में जमा कराये। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सि0रिट याचिका संख्या 3774/2011 प्रस्तुत की जिसके निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में याचिका दायर की, जिनके निर्देशों की पालना में प्रार्थी ने विद्वान आबकारी आयुक्त के समक्ष अधिनियम की धारा 9ए के तहत अपील प्रस्तुत की। विद्वान आबकारी आयुक्त ने अपील आदेश दि. 15.07.2014 द्वारा आबकारी अधिकारी, सीकर द्वारा आबकारी डयूटी को आधार बनाकर आरोपित शास्ति को विधिसम्मत मानते हुए प्रार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। आयुक्त आबकारी के अपील आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रार्थी इकाई को जिला आबकारी अधिकारी, सीकर द्वारा मांग वसूली नोटिस जारी किए जाने से पूर्व किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के द्वारा ऐसा किया जाना विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मांग वसूली नोटिस के आदेश की पालना के लिए 7 दिवस का समय दिया गया। राजस्थान आबाकारी नियम, 1956 के नियम 76ए के अन्तर्गत नोटिसों की पालना के लिए न्यूनतम 15 दिवस की अवधि दिए जाने का आज्ञात्मक विधिक प्रावधान है। इस विधिक प्रावधान की पालना के अभाव में जारी मांग वसूली नोटिस विधि विरूद्ध है। मांग वसूली नोटिस में मांग राशियां जमा कराने का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस राशि की गणना के आधार तथा प्रार्थी इकाई पर राशि वसूली आरोपित करने के विधिक आधारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा किया जाना नोटिस जारीकर्ता प्रतिपक्षी की मनमानी एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही का घोतक है। मांग वसूली नोटिस जारी किये जाना अर्द्धन्यायिक कार्यवाही की श्रेणी में आता है। सुनवाई के अन्तर्गत प्रभावित पक्षकार को पर्याप्त नोटिस दिया जाना, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना तथा विधिक पक्ष प्रस्तुत किया जाना आदि शामिल है। जिला आबकारी अधिकारी, सीकर द्वारा मनगढंत एकतरफा कार्यवाही के अन्तर्गत प्रार्थी इकाई को मांग राशि राजकोष में जमा कराने के लिए जारी नोटिस के द्वारा आदेशित किया गया, जो विधि विरूद्ध है।

लगातार.....3

6. उन्होंने तर्क दिया कि जिला आबकारी अधिकारी, सीकर ने राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 76ए के आज्ञात्मक प्रावधान की पालना नहीं करने तथा प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की पालना नहीं करने के कारण विधिक दृष्टिकोण से दूषित होने के कारण मांग पत्र खारिज किए जाने योग्य है। मांग वसूली नोटिसों को जारी किए जाने से पूर्व एवं नोटिस जारी करने के दौरान की जाने वाली विधिक कार्यवाही के अभाव की पूर्ति नोटिस जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर विधि सम्मत तरीके से नहीं हो सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6896/2002 केसर एन्टरप्राइजेज लि0 बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनदेखी करते हुए जारी नोटिस एवं इसके अन्तर्गत की गई कार्यवाही को विधि शून्य (Null & Void) निर्णित किया है। न्यायालय ने इस नजीर का निर्णय में उल्लेख किया है, लेकिन अपील का निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के विपरीत करते हुए मांग वसूली नोटिसों को विधिक दृष्टिकोण से सही ठहराया जाना विधि विरूद्ध है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी इकाई के प्राधिकारी ने प्रारूप आर.डी.–15 पर हस्ताक्षर करने के उपरांत जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया। आर. डी. 15 राजस्थान डिस्टीलरी नियम, 1976 के नियम 94 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बॉण्ड का प्रारूप है। इस बॉण्ड के बिन्दु संख्या 3 में "duty at the rate when in force" का उल्लेख है एवं तदनुरूप डयूटी ही वसूल की जा सकती है जबकि इस पर शास्ति आरोपित की गई है जो अविधिक होने से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि ई.एन.ए. मूलरूप में मानव उपभोग योग्य आबकारी वस्तु नहीं है। इस स्थिति में ई.एन.ए. पर राज्य सरकार आबकारी शुल्क वसूल नहीं कर सकती है। यह सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स के मामले में प्रतिपादित किया है। अतः एक्साइजेबल आर्टिकल नहीं होने से इस पर कोई डयूटी नहीं लगाई जा सकती है।

9. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ई.एन.ए. के गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंचने पर राज्य सरकार को रूपये 170 प्रति एल.एल.पी. लीटर की दर से न्यूनतम राजस्व हानि को शास्ति राशि की गणना का आधार बनाये जाने की प्रतिपक्षी जिला आबकारी अधिकारी, सीकर की कार्यवाही को सही ठहराया जाना विधि सम्मत नहीं है। यह सही है कि ई.एन.ए. में पानी एवं अन्य आवश्यक घटक का मिश्रण तैयार किया जाकर भारत निर्मित विदेशी मदिरा अथवा देशी मदिरा का निर्माण किया जा सकता है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर न्यूनतम आबकारी शुल्क की दर 170 रूपया प्रति एल.पी. लीटर है, जबकि देशी मदिरा पर आबकारी डयूटी की दर 116.67 रूपया प्रति एल.पी. लीटर है। बॉण्ड के प्रारूप में ई.एन.ए. गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंचने पर राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए राशि वसूली की दर का उल्लेख नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी, सीकर ने जारी विवादित मांग वसूली नोटिसों में गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंचने वाले ई.एन.ए. का दुरूपयोग हो, इसका कोई आधार अंकित नहीं किया है। इस ई.एन.ए. का देशी मदिरा अथवा भारत निर्मित विदेशी मदिरा में से किसी श्रेणी की मदिरा निर्माण में दुरूपयोग हुआ। राज्य राजस्व को हुई हानि का आंकलन अप्रार्थी जिला आबकारी अधिकारी, सीकर द्वारा किया गया है। लेकिन अप्रार्थी ने उक्त बिन्दुओं पर कोई तथ्यान्वेषण किए जाने का उल्लेख जारी नोटिसों में नहीं किया।

लगातार.....4

इसके अभाव में जारी नोटिस स्वेच्छाचारिता वाला होने के कारण विधिक दृष्टिकोण से दूषित श्रेणी का है। ई.एन.ए. का विवादित कन्साईनमेन्ट राजस्थान राज्य से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में से होकर आगे निकल जाने के प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध है। यह दस्तावेज इन तथ्यों को प्रमाणित करते है कि विवादित ई.एन.ए. राजस्थान राज्य की सीमा से बाहर जा चुका था, अपीलों में यह दस्तावेज शामिल थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की विधि विरूद्ध व्याख्या को आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा प्रार्थी से मांग राशि वसूल किए जाने की कार्यवाही को सही ठहराकर कानूनी भूल की है।

10. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में बार–बार प्रार्थी इकाई द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है तथा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के कथनों का उल्लेख किया है। प्रार्थी इकाई द्वारा कभी भी अण्डरटेकिंग प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी इकाई द्वारा कभी भी प्रतिपक्षी जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के समक्ष उल्लेखित तथ्यों वाला कोई अण्डरटेकिंग प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी इकाई ने प्रस्तुत आयात परमिट सही होने तथा आयात परमिट झूठे एंव काल्पनिक पाए जाने पर राज्य सरकार को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरवायी करने वाले अपने आप को आबद्ध करने वाले कथनों का अण्डरटेकिंग प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णयों में इस प्रकार का उल्लेख किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

11. राजस्थान डिस्टीलरीज नियम, 1976 के नियम 96 में अण्डर बॉण्ड निर्यात के लिए निर्गम की व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत अपीलार्थीगण डिस्टीलरी के प्रभारी आबकारी अधिकारी के द्वारा निर्गत के लिए जारी पास आर.डी. 24 जारी करने के उपरान्त इसकी द्वितीय प्रति सीधे आयातक वेयरहाउस के प्रभारी आबकारी अधिकारी को भेजी जानी चाहिए तथा प्रारूप आर.डी. 25 में एडवाइज आयात अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए, लेकिन प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा इन प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, इसकी पालना के अभाव में आयातक राज्य के आबकारी विभाग द्वारा इन प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। जिनकी पालना के अभाव में आयातक राज्यों के आबकारी अधिकारियों को उनके राज्यों में ई.एन.ए. के आयात की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

12. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 33, 34, 35 एवं 36 ई.एन.ए. निर्यात की प्रक्रिया में प्रभावी है। नियम 34(2) के अन्तर्गत जारी निर्यात परमिट की द्वितीय प्रति अन्य राज्य के आयात बॉण्डेड वेयरहाउस के प्रभारी आबकारी अधिकारी को भेज जानी चाहिए। नियम 34(3) के अन्तर्गत आयातक को आयातित ई.एन.ए. का गन्तव्य तक पहुंच का प्रमाणीकरण आयातक बॉण्ड के प्रभारी आबकारी अधिकारी से प्राप्त कर निर्यातक जिले के आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। परमिट जारी करने की प्रक्रिया में जिला आबकारी अधिकारी, सीकर ने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 34(2) की पालना में परमिट की द्वितीय प्रति संबंधित राज्य के प्रभारी आबकारी अधिकारी को नहीं भेजी।

13. अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 37 के प्रावधान भारत निर्मित विदेशी मदिरा निर्यात पर लागू होते है। प्रार्थी इकाई ने इन प्रकरणों में आयातकर्ताओं को ई.एन.ए. का निर्यात नियमानुसार किया है। ई.एन.ए. के

लगातार.....5

निर्यात पर नियम 37 के प्रावधान प्रभावी नहीं है। इस नियम के अन्तर्गत प्रार्थी इकाई पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। जिला आबकारी अधिकारी, सीकर के द्वारा प्रार्थी इकाई पर शास्तियों का आरोपण किया जाना विधि विरूद्ध है। बॉण्ड की किसी भी शर्त में शास्ति आरोपित किए जाने की कोई शर्त नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान प्रार्थी इकाई द्वारा उक्त समस्त विधिक प्रावधानों के प्रार्थी इकाई पर प्रभावी होने अथवा प्रभावी नहीं होने की स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन न्यायालय ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

14. न्यायालय के निर्णय के पेज नं. 17 के पैरा संख्या 03 में निम्न निष्कर्ष अंकित किये है :–

"1.) अपीलांट द्वारा कूटरचित आयात परमिट प्राप्त कर ई.एन.ए. का निर्यात अपनी इकाई से बाहर किया है।

2.) अपीलांट को बार–बार आवर प्रदान करने पर भी उन्होंने उक्त निर्यातित ई.एन.ए. की डिलेवरी कहां की एवं उक्त ई.एन.ए. का क्या उपयोग किया गया, यह बताने में असफल रहे।

3.) दिनांक 10.01.2011 के पश्चात से इस अपील की बहस तक अपीलांट के पास पर्याप्त समय था कि वे अपने स्तर पर जांच कर इस न्यायालय को अपने बचाव पक्ष में यदि कोई अन्य तथ्य होता तो उससे अवगत कराते परन्तु अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध में कोई बचाव में तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि अपीलांट के कथन को स्वीकार किया जा सके

4.) अपीलांट द्वारा ई.एन.ए. निर्यात के समय प्रस्तुत अन्डरटेकिंग में प्रस्तुत आयात परमिट के सही होने का कथन किया है ओर साथ ही आयात परमिट झूठे एवं काल्पनिक पाये जाने पर इससे राज्य सरकार को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई करने हेतु अपने आप को आबद्ध किया है।

5.) ई.एन.ए. एक्साईजबल आर्टिकल है एवं राज्य सरकार को ई.एन.ए. के आयात, निर्यात एवं परिवहन को विनियमित (Regulate) करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त है। "

आबकारी आयुक्त का उक्त निष्कर्ष तथ्यों से भिन्न है प्रार्थी ने दिनांक 27.06.2012 को आबकारी आयुक्त, राजस्थान के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया था जिसके तहत उन्होंने समस्त आरोपों को नकारा है एवं शपथपूर्वक अंकित किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा निर्यात किये गये माल हेतु टेंकर की व्यवस्था श्री विजय द्वारा की गई थी एवं टेंकर संख्या एचआर 38–एम–9287 में दिनांक 18.08.2010 को 20,000 ब्लक लीटर एवं टेंकर संख्या एचपी–38–पी–6289 में दिनांक 09.08.2010 को 20,000 ब्लक लीटर की डिलेवरी उनके इकाई के व्यवसाय स्थल पर की गई थी। उन्होंने यह भी कथन किया था कि आयातकर्ता फर्म को विक्रय किये गये उत्पाद का मूल्य आरटीजीएस के द्वारा कम्पनी के बैंक ऑफ बडौदा के अकाउण्ट संख्या 01140500000035 में दिनांक 19.08.2010 को 7,14,000/– रूपये एवं दिनांक 20.08.2010 को भी 7,14,000/– रूपये प्राप्त हुए है। उक्त शपथ पत्र पर विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया है।

15. प्रार्थी इकाई ने निर्यात करने से पूर्व विधि के प्रावधानों अनुसार आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर से ई.एन.ए. निर्यात करने के लिए अनुमति प्राप्त की। विभागीय प्रक्रिया के अनुसार आयातक राज्य के आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त एन.ओ.सी. के आधार पर आबकारी आयुक्त ने निर्यात अनुमति प्रदान की। निर्यात अनुमति पत्र की प्रति आयातक राज्य के एन.ओ.सी. जारीकर्ता आबकारी अधिकारी को प्रेषित नहीं की गई। इस अनुमति पत्र की

लगातार.....6

प्रति संबंधित को भेजी जाती तो निर्यात से पूर्व ही वस्तुस्थिति का खुलासा हो जाता। निर्यात अनुमति पत्र जारी किए जाने के उपरान्त आयातकों को ई.एन.ए. निर्गम किया गया अगर इस अनुमति पत्र की प्रति संबंधित राज्य के आबकारी अधिकारी को भेजी जाती तो आयात परमिटों के संबंध में तत्समय ही खुलासा हो सकता था।

16. साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि ई.एन.ए. पर राज्य आबकारी शुल्क आरोपित नहीं कर सकता है। इस विधिक स्थिति के दृष्टिगत ई.एन.ए. के निर्यात से पूर्व आबकारी आयुक्त की अनुमति के उपरान्त ही इसका निर्यात किया जा सकता है। यह अनुमति आयातक राज्य के आबकारी विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त होने पर ही दी जाती है। भारत निर्मित मदिरा पर राज्य सरकार आबकारी शुल्क आरोपित कर सकती है। इसलिए इसका निर्यात जिला स्तर से जारी आयात एवं निर्यात परमिटों के आधार पर किया जा सकता है। नियमों में जारी परमिट एवं पास की प्रति संबंधित गन्तव्य बॉण्डेड वेयरहाउस के प्रभारी आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी तथा आयात अनुमति जारी करने वाले आबकारी अधिकारी को सीधे ही भेजी जाने का प्रावधान है। इन प्रकरणों में किसी भी स्तर से ई.एन.ए. निर्यात के लिए जारी राजकीय दस्तावेज की कोई प्रति संबंधित राज्य के आबकारी अधिकारी को नहीं भेजी गई, जबकि नियमों में इसकी पालना किए जाने का बाध्यकारी प्रावधान है। नियमों में यह प्रावधान क्रोस चेकिंग के लिये दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियों ने नियमों में दिये गये प्रावधानों की पालना नहीं करने के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रार्थी इकाई पर किया जाना विधि विरूद्ध है।

17. अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि न्यायिक दृष्टान्त केसर एन्टरप्राईजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में आबकारी आयोग उत्तरप्रदेश ने दिनांक 02.10.1992 को प्रार्थी इकाई को आबकारी मैन्युअल का नियम 633 के अन्तर्गत प्रासव गन्तव्य तक पहुंचने का वांच्छित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के अभाव में शोधित प्रासव पर देय आबकारी शुल्क रूपये 40/– प्रति एल्कोहलिक लीटर की दर से राशि राजकोष में जमा कराने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी इकाई ने अण्डरबॉण्ड शोधित प्रासव निर्गम के लिए इन्डेमनिटी बॉण्ड आबकारी आयुक्त उत्तरप्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया था। आबकारी आयुक्त उत्तरप्रदेश ने प्रार्थी इकाई से आबकारी शुल्क राशि वसूल करने की कार्यवाही के लिए जिला आबकारी अधिकारी बरेली को दिनांक 06.04.1994 को आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी इकाई ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की, जो माननीय न्यायालय ने खारिज की। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी इकाई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें प्रस्तुत की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त उत्तरप्रदेश के प्रार्थी इकाई को सुनवाई का अवसर के अभाव में पारित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जारी होने के कारण निरस्त किया। माननीय न्यायालय का यह प्रकरण इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित बतलाते हुए उन्होंने प्रार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत इन निगरानियों को स्वीकारते हुए जिला आबकारी अधिकारी, सीकर एवं आयुक्त आबकारी विभाग के विवादास्पद आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

18. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आर.बी.माथुर ने आबकारी आयुक्त के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि निर्यात किया गया ई.एन.ए. गन्तव्य स्थान पर डिलीवर नहीं हुआ एवं परिवहन में ही खुर्द बुर्द कर दिया गया, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निर्यातक इकाई की होती है। अतः उन्होंने निर्यातक इकाई पर आरोपित शास्ति को उचित बतलाते हुए प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का तर्क प्रस्तुत किया।

लगातार.....7

19. श्री माथुर ने बहस के दौरान कथन किया कि जिला आबकारी अधिकारी सीकर द्वारा आयातक कम्पनी द्वारा जारी कथित आयत परमिट की जांच करवाये जाने पर उक्त कथित परमिट कूटरचित एवं जाली होना पाये गये तथा इन आयत परमिटों के अंतर्गत निर्यात किया गया ई.एन.ए. गन्तव्य स्थल पर नही पहुंचा जिसका सत्यापन चाहे जाने पर डिप्टी कमीश्नर एक्साइज शिलोंग, मेघालय ने आयात परमिट कूटरचित एवं बोगस होना बताया। आयात परमिट कूटरचित पाये जाने पर ही प्रस्तुत बॉण्ड की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर विधिसम्मत तरीके से शास्ति आरोपण एवं तत्पश्चात आबकारी आयुक्त द्वारा शास्ति आरोपण को यथावत रखा जाना विधिक एवं उचित है, अतः प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य है।

20. श्री माथुर ने यह भी अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा क्रेता के साथ विक्रय अनुबन्ध करना, परिवहन के लिए परिवहनकर्ता की व्यवस्था करना, क्रेता आयातक से आवश्यक वैध आयात परमिट प्राप्त करना एवं क्रेता आयातक से विक्रय किये गये ई.एन.ए. के विक्रय मूल्य का भुगतान प्राप्त करना आदि व्यवसायिक कार्यवाही का सम्पादन अपीलांट द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया है। इस कार्यवाही में अप्रार्थी आबकारी अधिकारियों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी प्रकार की कोई भूमिका होने सम्बन्धी विधिक प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान डिस्टलरी रूल्स, 1976 के नियम 96 के अनुसार अण्डर बोण्ड निर्यात राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने का उल्लेख है। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 33 एवं 34 में निर्यात प्रक्रिया का उल्लेख है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इन प्रावधानों में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की है। अतः प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य है।

21. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम अपीलीय आदेश में संदर्भित संबंधित प्रावधानों का आधोपान्त विवेचन किया जाना उचित होगा :–

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 3(4) एवं 3(21)

3(4) Excisable Article menas and includes

(i) Spirit, fermented liquor or any alcoholic liquor for human consumption or denatured spirit or denatured spirituous preparation, or...

3(21) "Spirit" means any liquor containing alcohol obtained by distillation whether it is denatured or no;

Rajasthan Excise Rules,1956 के नियम 33, 34 एवं 37 निम्न प्रकार प्रावधित हैं

"33. Application to be made to the Distirct Excise Officer or Assistant Excise Officer - (1) When any person desire, to export in bond spirit manufactured in distillery in Rajasthan, he shall submit an application to the Districe Excise Officer or Assistant Excise Officer of the District in which the distillery of manufacture is situated.

(2) The application must specify (a) the name of the consignor, (b) the name or the consignee, (c) the description, quantity and strength of the liquor to be exported.

(3) Every such application must be accompanied by (a) a permit from the appropriate Excise Officer of the District to which the spirits are to be exported authorizing the import of the spirits and (b) a duly executed special bond or a reference to the general bond in force."

Note The permit referred t in clause (a) may be general permit covering all consignments for 1 year.

34. Permit granted by [Districet Excise Officer or Assistant Excise Officer] of exporting district - (1) The permit grnated by the District excise Officer or Assistant Excise Officer] of the exporting district shall be in quadruplicate.

(2) One copy of the permit shall be delivered to the exporter, second copy will be forwarded to the appropriate Excise Officer of the District to which the liquor is to be taken, the third will be sent to the Excise Inspector of the Circle and the fourth will be retained for record.

लगातार.....8

Note [The] officer in-charge of the warehouse to which the liquor is consigned will be the appropriate Excise Officer of the district of imports.
(3) Within a reasobable time to be fixed by the [Districe Excise Officer of Assistant Excise Officer], of the exporting district and specified in the bond or pass the importer shall produce before the [District Excise Officer of Assistant Excise Officer], of the exporting district his copy or the pass endorsed with a certificate signed by the appropriate Excise Officer of the importing district certifiying the due arrival or otherwise of the liquor at its destination.

37(1) In the case of Indian made foreign liquor exported under special bonds the [District Excise Officer or Assistant Excise Officer], of the exporting district shall discharge the bond on receipt of the pass and certificate mentioned above, provided that none of the conditions of the [bond has been] infringed. The duty on consignments issued under a general bond shall be written off on receipt of the said pass and certificate, provided that none of the conditions of the bond have been infringed.

37(2) If the certificate be not received within the time mentioned in the bond or pass, or if on receipt of the certificate it appears tht any of the conditions of the bond have been infringed the District Excise Officer of Assistant, Excise Officer, as the case may be, of the exporting district shall forthwith take the necessary steps to recover from the executants or his surety the penalty due under the bond.
76A Notice of demand - As soon as the demand of any duty fee or other demand due against any person under this Act or rules msde thereunder is deterimined by the District Excise Officer, Asistant Excise Officer, he shall serve notice of demand in From ETI along with a certified copy of the order requiring him to pay the amount so determined with in time specified in the notice which shall not be less than fifteen days from the date of its service and in the manner specified in the notice and the person shall pay the amount accordingly.

96. Issue under bond for export - Issue under bond for export are governed by the Rajasthan Excise Rules, 1956. The Officer in charge will issue pass in form R.D. 24,The duplicate Copy of the pass will be sent direct to the officer-in-charge of the warehouse to which export takes place and advice in form R.D. 25 will be sent to the officer granting to the authority to import.

22. अधिनियम 1950 की धारा 3(4) एवं 3(21) में अंकित प्रावधानों के अनुसार स्प्रीट एक एक्साईजेबल आर्टिकल है, जिस पर विद्वान आबकारी आयुक्त ने विस्तृत विवेचन अपने आदेश में किया है। राजस्थान एक्साइज रूल्स, 1956 के नियम 69(बी) से भी प्रमाणित होता है, कि ई.एन.ए. एक्साइजेबल आर्टिकल है तद्नुरूप :–

"69B. Fees for certain permits - The under mentioned fees are prescribed for a permit for [bringing] into, [sending] outside or transport with in the State of Rajasthan of the following excisable articles -
4. Extra neutral alcohol,....."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स गीता एन्टरप्राइजेज बनाम राजस्थान राज्य (1993) (2) WLN 564 एवं (1994)(3) WLC 304 में इण्डस्ट्रीयल एल्कोहल को नियमित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होना उचित ठहराया है। तदनुरूप प्रार्थी का यह कथन कि ई.एन.ए. एक्साइजेबल नहीं है अस्वीकार किया जाता है एवं राज्य सरकार को इसको नियंत्रण करने की शक्तियां निहित हैं। अतः निगरानी इस बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है।

23. यदि कूटरचित एवं जाली आयात दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी कम्पनी ने माल का निर्यात किया है एवं उस माल की निर्यातक इकाई को डिलेवरी साबित नहीं होती है तो राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के तहत निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के उल्लंघन पर

लगातार.....9

शास्ति लगाया जाना उचित एवं विधिक है, क्योंकि प्रार्थी ने उक्त बंध पत्र में किसी भी तरह से राजस्व हानि के लिए अपने आप को आबद्ध किया है। अतः इस बिन्दु पर भी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है कि उसने निष्पादित बंध पत्र में ऐसे हर्जाने बाबत कोई सहमति नहीं दी थी।

24. परन्तु विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एवं दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी कम्पनी ने माल निर्यात के क्रम में विहित एवं वांछित प्रकिया अपनाई है। प्रार्थी इकाई को मैसर्स मोफलेंग बोटलिंग प्रा0लि0, रि–भोई, मेघालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रार्थी ने आयातक कम्पनी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक सीई/87–92/2009/EXC/ALCH/430 दिनांक 23.04.2010 जो डिप्टी कमीश्नर ऑफ एक्साइज शिलोंग, मेघालय द्वारा जारी किया गया था तथा आयात परमिट Ex/827/MB/ENA/122/2010 एवं Ex/828/MB/ENA/123/2010 दिनांक 04.08.2010 प्रार्थी कम्पनी को प्रदान किये गये। जिसके आधार पर प्रार्थी कम्पनी ने आयातक फर्म से ई.एन.ए. विक्रय करने हेतु अनुबंध किया। तदनुरूप आयातक कम्पनी 40,000 ब्लक लीटर ई.एन.ए. आयात करने के कम में अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.07.2010 पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा दिनांक 02.08.2010 को अनुमति प्रदान की गई एवं जिला अधिकारी, उदयपुर द्वारा निर्यात परमिट संख्या SKR016412 एवं SKR016413 दि. 18.08.2010 क्रमशः 2000–2000 ब्लक लीटर ई.एन.ए. के जारी किये गये। निर्यात अनुमति के आधार पर प्रार्थी इकाई द्वारा देय सेडिंग आउट फीस की राशि राजकोष में जमा कराई गई तदनुरूप सहायक आबकारी अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट परमिट एवं एस.के.आर. प्रार्थी इकाई से निर्गमित किये। उक्त निर्यात परमिट जारी होने के पश्चात डिस्टलरी के इंचार्ज सहायक आबकारी अधिकारी रींगस ने दो ट्रांसपोर्टेशन परमिट क्रमशः संख्या B-0069548 दिनांक 29.08.2010 एवं B-0069542 जारी किये जिसमें मार्ग परिवहन का वर्णन अंकित था। प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी ने ई.एन.ए. टैंकरों में भरकर मय एच.आर. परिवहन के लिये सुपुर्द किये। प्रार्थी इकाई द्वारा राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के नियम 94 के तहत उल्लेखित प्रारूप आर.डी.15 के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए उक्त बंध पत्र प्रस्तुत किये अर्थात विहित प्रक्रिया का पालन किया गया।

25. प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन उचित है कि नियम 33 एवं 34 का पूरी तरह से पालन किया गया है। राजस्थान डिस्टलरीज नियम 1976 के नियम 96 के अनुसार बांड के तहत निर्यात करने के हेतु आफिसर इंचार्ज को आर.डी.24 प्रपत्र में डुप्लीकेट कापी सीधे ही निर्यात किये जाने वाले स्थान के वेयर हाउस के आफिसर इंचार्ज को भेजने एवं आर.डी.25 में Import के अधिकारिता प्रदान करने हेतु Advise भेजने संबंधित प्रावधान प्रावधित हैं। संभवतः इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।

26. आबकारी अधिकारी, सीकर द्वारा अपने पत्रांक 4878 दि. 05.01.2011 के द्वारा किये गये निर्यात संव्यवहारों की जांच करवाने पर जोईन्ट कमीश्नर ऑफ एक्साइज (हैड क्वार्टर) मेघालय शिलोंग ने अपने पत्र कमांक 74 दिनांक 06.01.2011 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की है, कि :–

"With reference to your letter no. quoted above, the following import permits for procurement of E.N.A from M/s Agro Industries private Ltd., Reengus, District-Sikar (Rajasthan) was not issued from this office. You are therefore, requested not to entertain be Import Permits

1. EX/827/MB/ENA/122/2010 Dt. 4.8.2010 20,000 B.L.
2. EX/828/MB/ENA/123/2010 Dt. 4.8.2010 20,000 B.L."

लगातार.....10

27. विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने जिला आबकारी अधिकारी सीकर द्वारा जारी किये गये ट्रांसपोर्ट परमिट संख्या बी 0069548 एवं संख्या बी 0069542 जिनमें वाहन के परिवहन का पूरा चार्ट अंकित किया गया है, प्रस्तुत किये गये जिन पर डिप्टी कमीश्नर एक्साइज शिलोग मेघालय की निम्न इबारते अंकित है कि :—

"Recived 20,000 (Tweenty thousand) Bulk Liter Extra Neutral Alcohal through Tanker No. HR 38 P 6289 Dated 25.08.2010" एवं "Recived 20,000 (Tweenty thousand) Bulk Liter Extra Neutral Alcohal through Tanker No. HR 38M 9287 Dated 25.08.2010"

उक्त दस्तावेजों पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है प्रार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने आबकारी आयुक्त द्वारा वांछित शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा डिलेवरी आयातक फर्म को दी गई है एवं आयातक फर्म से विक्रय किये गये उत्पाद का मूल्य आरटीजीएस के द्वारा कम्पनी के बैंक अकाउण्ट सं0 01145000000 जो बैंक ऑफ बडौदा में संधारित है, में दिनांक 19.08.2010 को 7,14,000/— रूपये तथा दिनांक 20.08.2010 को 7,14,000/— प्राप्त हुए है। विद्वान आबकारी आयुक्त ने इस पर भी कोई टिप्पणी अपने आदेश में नहीं की है। यह दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिन पर जांच किया जाना आवश्यक था। यद्यपि व्यवहारी के विरूद्ध उक्त कथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संव्यवहार किये जाने पर पुलिस विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी एवं सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम संख्या 1, उदयपुर में मुकदमा संख्या 2006/11 रे.फो. में चालान भी प्रस्तुत किया गया है परन्तु इसके निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

28. प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स केसर एन्टरप्राईजेज लि0 बनाम उत्तर प्रदेश सिविल अपील नं. 6896/2002 निर्णय दिनांक 6.7.2011 (2011) एसटीपीएल 568 एस.सी में अभिनिर्धारित किया है :—

.....22. Thus tested, in the instant case, vide his letter dated 2nd October 1992, the Excise Commissioner called upon the appellant to deposit an amount of 14,20,943/- towards Excise duty and interest on account of default on their part to furnish PD-25 pass duly certified by the competent authority at Kandla Port. The letter/notice does not indicate the exact quantity of recified spirit on which duty @ 10/- per alcoholic litre has been charged, though the total amount of duty payable is mentioned. Similarly, in the final show-cause notice dated 6th April 1994, threatening action for black listing for further exports on account of non-payment of the aforenoted amount, there is not even a whisper as to how and why rectified spirit in question was being subjected Excise duty by the state as stated above, this Court having categorically held in synthetics and Chemicals (supra) and in catena of subsequent decisions that the state Legislature had no legislative competence to impose Excise duty on rectified spirit (industrial alcohol) the Commissioner of Excise could not demand Excise duty on rectified spirit contained in the tank wagon which, later on, was found to be empty, without returning a finding that the said spirit has been diverted/converted into potable alcoholic liquor fit for human consumption, on which the state was empowered to impose duty. It bears repetition that such a finding could not be recorded by the Commissioner without affording due opportunity to the appellant to explan its stand in this regard for which, the onus lay on them as transporter and the executant of the bond we may, however, add that in the absence of any reasonale explanation regarding disappearance of recfitied spirit, the Commissioner would have reason to presume that the same has been disposed of otherwise than by way of export outside the country, for which purpose it was being transported. We are convinced that in the present case, before imposing the impugned demand of penalty and interest, there was absolutely no adjudication by any authority as regards the breach

लगातार.....11

committed by the appellant exceed the allegation that the appellant had failed to furnish the PD 25 case certified by the Collector. In our opinion therefore, the action of the respondents for the recovery of penalty and interest being voiliative of principles of natural justice, is null and viod.

23. In the afore said premises, we allow the appeal; set aside the impugned demand raised by the Commissioner of Excise vide notice dated 2nd October 1992, as well as the judgment of the High Court sustaining the demand by invoking Rule 633 of the Excise Manual and remit the matter to the jurisdictional Excise Commissioner to decide the question of levy of Excise duty and/or penalty and interest on the subject consignement of rectified spirit after affording adequate opportunity of hearing to the appellant."

29. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जिला आबकारी अधिकारी ने शास्ति राशि 1,14,24,000/– रू. की मांग बाबत जारी वसूली नोटिस दिनांक 10.01.2011 एवं आबकारी आयुक्त राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 02.07.2014 द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना केवल एक पत्र जोइन्ट कमिश्नर मेघालय शिलोंग पर आधारित है जिसमें अपने ही विभाग के उपायुक्त एक्साइज शिलॉग मेघालय द्वारा जारी आयात परमिट व अनापत्ति प्रमाण पत्र, ई. एन.ए. की संबंधित वाहनों से डिलीवरी के संबंध में जारी की गई सुपुर्दगीनामे को किन कारणों से जाली व कूटरचित करार दिया है। प्रार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने शपथ पत्र में आयातक कंपनी द्वारा प्रार्थी कंपनी को भुगतान आरटीजेएस के माध्यम से किया जाना अवगत कराया है तथा जिला आबकारी अधिकारी सीकर द्वारा जारी ट्रांसपोर्ट परमिट B-0069548 तद्नुरूप संख्या एस.के.आर.011967 पर अंकित चैक पोस्ट की सील जिसपे जनपद संभवतः आगरा अंकित है में वाहन संख्या–एचआर 38–पी–6289 की प्रविष्टि दिनांक 20.08.2010 समय 12:48 पीएम को प्रविष्टि संख्या 664 द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट है कि माल राजस्थान के बाहर तो गया है की जांच व आयातक कंपनी द्वारा किये गये भुगतान की जांच कर कोई विश्लेषण न तो जिला आबकारी अधिकारी सीकर ने किया एवं न ही विद्वान आबकारी आयुक्त ने किया है। जिला आबकारी अधिकारी सीकर द्वारा बिना सुनवाई के शास्ति मांग पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रक्रिया में प्रार्थी कंपनी को अपना पक्ष स्पष्ट करने बाबत कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के क्रम में विधिक होता। जिसकी पुष्टि विद्वान आबकारी अधिकारी द्वारा भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बिना विश्लेषण की गई है जो विधिक नहीं कही जा सकती है।

30. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्यात किये गये ई.एन.ए. के संबंध में डिलीवरी बाबत् ट्रांसपोर्ट परमिट पर डिप्टी कमिश्नर एक्साइज शिलॉग द्वारा पृष्ठांकन किये जाने सबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिस पर आयुक्त द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। परन्तु रिकार्ड के अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त विवेचित तथ्यों को सुस्थापित नही किया गया है एवं न ही प्रार्थी व्यवहारी को जिला आबकारी अधिकारी समुचित सुनवाई का अवसर दिया है। आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रस्तुत तथ्यों पर भी कोई गौर नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्वीकार की जाती है एवं जिला आबकारी अधिकारी सीकर द्वारा जारी मांग पत्र तथा आबकारी आयुक्त द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के आदेश को निरस्त किया जाता है।

23. यद्यपि प्रार्थी कम्पनी के इस तर्क को अस्वीकार किया जाता है कि वह बंध पत्र की शर्तों के अधीन किये गये निर्यात वैध आयात दस्तावेजों के आधार पर किये जाने की पुष्टि नहीं होने पर राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है वह स्वयं बंध पत्र की शर्तों से आबद्ध है।

लगातार.....12

24. अतः यह स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी मांग पत्र एवं विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा इसकी पुष्टि करना इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2011 में दिये गये निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है।

25. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त कर प्रकरण जिला आबकारी अधिकारी को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है :–

i) प्रार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वे उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे।

ii) प्रार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्यों की गहराई से जांच करे।

iii) जिला आबकारी अधिकारी दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी सुनिश्चित करे की क्या प्रार्थी कम्पनी ने माल FOR प्रेषित/परिवहनित किया था यदि FOR परिवहनित किया गया है तो प्रार्थी कम्पनी की जिम्मेदारी है कि माल किसको व किस जगह डिलीवर किया गया है एवं किराये का भुगतान ट्रांसपोर्ट को किस मोड से हुआ है एवं किसने किया है एवं ट्रांसपोर्टर ने माल कहा खाली किया है।

iv) चूंकि ट्रांसपोर्ट परमिटों में परिवहन का मार्ग चार्ट अंकित है अतः वे राजस्थान की परिवहन चौकी के रिकार्ड अथवा राज्य के बाहर की चौकियों से संभव हो सके तो यह जांच करें कि माल का परिवहन इन तिथियों में राज्य के बाहर हुआ भी है या नहीं। प्रार्थी कम्पनी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे इन तिथियों में निर्धारित मार्ग में अवस्थित जांच चौकियों/टोल नाकों से माल परिवहन के तथ्य को सुस्थापित करें कि माल उन्होंने गन्तव्य स्थल तक परिवहनित हुआ है।

v.) जिला आबकारी अधिकारी, सीकर, उपायुक्त एक्साइज शिलोंग मेघालय के हस्ताक्षरों की पुष्टि, उनके द्वारा जारी किये गये आयात परमिट, आयातक कम्पनी के लाइसेंस, प्रेषित पत्र व पुडूचेरी के एक्साइज अधिकारियों द्वारा उक्त संवयव्हार की पेटे वांछित बैंक में जमा कराई गई राशियों का सत्यापन करायेंगे। यदि उक्त प्रस्तुत तथ्य व दस्तावेज जांच पर एक्साइज विभाग शिलोंग मेघालय अथवा संबंधित कार्यालयों के रिकार्ड से असत्यापित पाये जाते है, तो यह मानने का पर्याप्त आधार है कि प्रार्थी कम्पनी ने उक्त दस्तावेज कूटरचित व जाली तैयार कर लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत करने का अपराध किया है। जिसके लिये प्रार्थी उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त जांच एवं प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष एवं विश्लेषण के अनुसार उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं होने तथा आयात परमिट आदि दस्तावेज असत्यापित पाये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी पुनः मांग पत्र जारी कर सकेंगे।

निर्णय सुनाया गया ।

6.7.2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य